**राजस्थान सरकार**
**वित्त (बीमा) विभाग**

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट–V जयपुर, दिनांकः 03 DEC 2021

**समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/**
**शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/**
**विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर्स ।**

विषय : पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस कार्ड की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा के अनुरूप **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना** लागू की जा चुकी है और पंजीकृत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कैसलेस इन्डोर चिकित्सा सुविधा माह जुलाई, 2021 से एवं कैसलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा माह नवम्बर, 2021 से उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्त योजना में पंजीकरण के लिए सभी कोषाधिकारियों/बीमा अधिकारियों/क्षेत्रीय पेंशन अधिकारियों के द्वारा निरन्तर कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/शिविरों का आयोजन करते हुए अब तक 9.16 लाख से अधिक लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया है।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि अभी भी दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों में वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक एवं विधवा पारिवारिक पेंशनर्स है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिन्हें उक्त योजना में पंजीकृत किये जाने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पंचायतों/ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी, ग्राम सेवक, कृषि सहायक, पटवारी, पंचायत सचिव, सरपंच,विद्यालयों में कार्यरत राज्यकर्मी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सी.एच.सी, पी.एच.सी. में कार्यरत स्टाफ इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जो उक्त विधवा पारिवारिक पेंशनर्स एवं वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें निकटस्थ सरकारी कार्यालय/बीमा कार्यालय/पेंशन कार्यालय/कोष कार्यालय/ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत करा सकते है।

अतः निवेदन है कि कृपया आपके अधीनस्थ विभागों में कार्यरत कर्मियों को उनके क्षेत्र में निवास कर रहे विधवा पारिवारिक पेंशनर्स एवं वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को **राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना** में पंजीकृत कराने हेतु निर्देशित किया जाये। इसके लिए उन्हें कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी/बीमा अधिकारी/पेंशन अधिकारियों के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सभी कोषाधिकारियों/बीमा अधिकारियों/पेंशन अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उनके जिले में कार्यरत उक्त कर्मियों से सम्पर्क कर उनके माध्यम से विधवा पारिवारिक पेंशनर्स एवं वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मियों का उक्त योजना में पंजीकरण कराये जाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

**(अखिल अरोरा)**
**प्रमुख शासन सचिव, वित्त**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली ।

**(नरेश कुमार ठकराल)**
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)